हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 19 दिसम्बर, 2024

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक/1–98/2024.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 36) जो आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

———————

2024 का विधेयक संख्यांक 36.

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 4–क का संशोधन ।

——————

2024 का विधेयक संख्यांक 36.

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरः स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

2. धारा 4–क का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 की धारा 4–क की उपधारा (1) में, ”सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या ज़िला के प्रभारी

आबकारी एवं कराधान अधिकारी” शब्दों के स्थान पर “सम्बद्ध अधिकारिता का सहायक राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य कर और आबकारी विभाग का पुनर्गठन सरकार द्वारा अधिसूचना संख्याः ई० एक्स० एन०–बी (1)–1/2021, तारीख 19–01–2024, 29–01–2024 तथा 29–08–2024 द्वारा दो खंडों (शाखाओं) अर्थात् आबकारी खंड और माल और सेवा कर खंड में किया गया है।

अतः विभाग के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, नवगठित माल और सेवा कर/सम्बद्ध कर खंड में पुरानी चार स्तरीय संरचना (मुख्यालय–ज़ोन–ज़िला–वृत्त) के स्थान पर तीन स्तरीय संरचना (मुख्यालय–माल और सेवा कर ज़ोन–माल और सेवा कर वृत्त) है। इसके परिणामस्वरूप, माल और सेवा कर खंड/सम्बद्ध कर खंड संरचना में जिला प्रभारी का पद अस्तित्व में नहीं है, इसलिए, विभाग के पुनर्गठन के साथ संरेखित करने के लिए अधिनियम में संशोधन करना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

धर्मशालाः

तारीख ...., 2024.

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

—————————

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

धर्मशालाः

तारीखः....................................., 2024.

—————————

THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2024

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 4-A.

———————

THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2024

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act No. 15 of 1955).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Amendment) Act, 2024.

2. Amendment of section 4-A.—In section 4-A of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955, in sub-section (1), for the words "Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer incharge of the district", the words, letters and signs "Assistant Commissioner of State Taxes and Excise (GST/Allied Taxes) of the concerned jurisdiction" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Restructuring of the State Taxes and Excise Department has been carried out by the Government vide notifications No. EXN-B(1)-1/2021 dated 19-01-2024, 29-01-2024 and 29-08-2024 into two wings viz. Excise Wing and GST Wing.

Consequent upon the restructuring of the Department, the newly formed GST/Allied Taxes wing has three tier structure (Headquarters-GST Zone-GST Circle) instead of old four tier structure (Headquarters-Zone-District-Circle). As a result of it, the post of District in-Charge no longer exists in GST Wing/Allied Tax wing structure, hence amendments in the Act are required in order to align with the restructuring of the Department.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

DHARAMSHALA:

THE……………, 2024.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act No. 15 of 1955).

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

DHARAMSHALA:

THE……….................., 2024.